पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

राज्यपाल ने डॉ0 भीमराव आंबेडकर के सही नाम के साथ उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2017 को अनुमति प्रदान की

लखनऊ: 29 दिसम्बर, 2017

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों से 22 दिसम्बर, 2017 को पारित विधेयक 'उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2017' को अपनी अनुमति प्रदान कर दी है। विधेयक से संबंधित पत्रावली 28 दिसम्बर, 2017 को राजभवन में प्राप्त हुई थी।

'उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2017' द्वारा 'डॉ0 भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा' का नाम 'भारत का संविधान' के पृष्ठ संख्या 254 पर हिन्दी में डॉ0 भीमराव आंबेडकर के उपलब्ध हस्ताक्षर के अनुसार संशोधित कर 'डॉ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा' किया गया है।

उल्लेखनीय है कि राज्यपाल ने पाया था कि डॉ0 आंबेडकर का नाम सही नहीं लिखा जा रहा है। प्रायः लोग बाबा साहब का नाम डॉ0 भीम राव अम्बेडकर लिखते है। राज्यपाल का मानना है कि किसी भी व्यक्ति का नाम उसी तरह लिखा जाना चाहिए जिस प्रकार वह व्यक्ति स्वयं लिखता हो। इस दृष्टि से भारत का संविधान के मूल हिन्दी प्रति के पृष्ठ 254 में हस्ताक्षर करते हुए बाबा साहब ने डॉ0 'भीमराव रामजी आंबेडकर' लिखा है। वैसे ही अंग्रेजी में 'Dr. 'Bhim Rao Ambedkar' लिखने के स्थान पर 'Dr. 'Bhimrao Ambedkar' लिखना चाहिए।

राज्यपाल ने इसी दृष्टि से 'डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा' का नाम 'डॉ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा' करने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र भी प्रेषित किया था। राज्यपाल ने राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद से 11 दिसम्बर, 2017 को राष्ट्रपति भवन में भेंट कर इस संबंध में पत्र दिया था तथा उनके स्तर से दिशा-निर्देश निर्गत किये जाने का अनुरोध भी किया था। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति से भेंट के पश्चात नई दिल्ली में ही डॉ0 भीमराव आंबेडकर के सही लिखे जाने के विषय पर एक पत्रकार वार्ता को भी सम्बोधित किया गया था।

अंजुम/ललित/राजभवन (488/47)